मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 7247 /NR-4//11 भोपाल, दिनांक 11 /07/ 11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कर्याक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

समय सीमा
दिनांक 15 जुलाई 2011

विषयः– ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण विषयक।

संदर्भः– वीडियों कान्फेंसिंग दिनांक 25/6/2011 में प्रमुख सचिव महोद्या के निर्देशों का पालन।

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समय–समय पर मनरेगा सें संबंधित सनदी लेखाकार के ऑडिट के निराकरण एवं उसका पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु परिषद् स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं। यद्यपि जिलों से इस संबंध में पहल की गई है परन्तु अभी भी इसमें और प्रयास की आवश्यकता है।

लेख है कि इस संबंध में आपके जिले में योजना प्रारंभ से अद्यतन स्थिति तक के मनरेगा से संबंधित सनदी लेखाकार के ऑडिट एवं अन्य ऑडिट एवं उनके पालन प्रतिवेदन की सूक्ष्म समीक्षा कर लें। यह देखा गया है कि कंडिकाओं का उत्तर देते समय जिले में मात्र निर्देशन किया जाता है जबकि अपेक्षा कंडिका के निराकरण की होती है।

शीघ्र ही आपके जिले के प्रतिनिधि को परिषद् मुख्यालय में आमंत्रित कर ऑडिट कंडिकाओं की समीक्षा की जायेगी। परन्तु इस बैठक के पूर्व 15 जुलाई 2011 के पूर्व इस पत्र में संलग्न प्रमाण–पत्र परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रमाण–पत्र नहीं भेजने वाले जिलों को मनरेगा की आगामी किश्त निर्गमित नहीं की जावेगी।

ऑडिट कंडिकाओं के वित्त वर्षवार पालन प्रतिवेदन को अंकित करने हेतु परिषद् स्तर से एक साफ्टवेयर प्रोग्राम भी शीघ्र ही आपको भेजा जा रहा है जिसमें की आपके जिले की ऑडिट कंडिकाओं के पालन प्रतिवेदन की स्थिति भी अंकित करनी होगी। इसका लाभ यह होगा कि ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण एवं उनके संकलन हेतु प्रभावी पहल की जा सकेगी।

संलग्न – प्रमाण पत्र

7/7/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मनरेगा स्कीम से संबंधित वित्त वर्ष 2005–06 से 2009–10 (जिस जिले के लिए जो वर्ष लागू हो उसे स्पष्ट करें) तक के सनदी लेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन कर एवं वर्ष वार उनका पालन प्रतिवेदन हार्ड कापी एंव साफ्ट कापी में तैयार किया गया है। इसी के साथ तैयार किये गये पालन प्रतिवेदन कार्यालय मे संधारित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मनरेगा स्कीम से संबंधित उपर्युक्त अंकित वित्त वर्षों से संबंधी सनदी लेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के अतिरिक्त एजीएमपी की ऑडिट रिपोर्ट को भी अध्ययन कर वर्ष वार उनका पालन प्रतिवेदन हार्ड कापी एंव साफ्ट कापी में तैयार किया गया है। इसी के साथ तैयार किये गये पालन प्रतिवेदन कार्यालय मे संधारित है।

लेखाधिकारी　　　　अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक　　　　जिला कार्यक्रम समन्वयक